(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 818–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–2–2017 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील बदनावर जिला धार प्रकरण कमांक 36/अ–6/2016–17.

मालवी प्रजापति कुम्हार समाज बदनावर एवं खेडा के पंच
1–राजू पिता रणछोड प्रजापत जाति कुम्हार
2–बद्रीलाल पिता मुलचन्द प्रजापत जाति कुम्हार
3–सोहनपित चम्पालाल प्रजापत जाति कुम्हार
4–सोहन पिता चम्पालाल प्रजापत जाति कुम्हार
सभी निवासी बदनावर जिला धार म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

भुवान पिता शंकर कुम्हार
निवासी खेडा तहसील बदनावर जिला धार .....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक पंचगण कुम्हार पंच बदनावर खेडा (मालवी प्रजापति कुम्भकार समाज बदनावर के पंचगण) राजु पिता रणछोड बद्रीलाल पिता मुलचन्द सोहन पिता चम्पालाल जाति कुम्हार निवासी बदनावर द्वारा संहिता की धारा 109–110 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम खेड़ा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 667 रकबा 3.528 हेक्टेयर भूमि पर कुम्हार पंच बदनावर खेडा मालवी प्रजापति कुम्भकार समाज का नामान्तरण किये जाने का निवेदन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 25–2–17 को आवेदन निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ट्रस्ट के पक्ष में दस्तावेज 1977 का है जो 30 वर्ष पुराना होकर विश्वसनीय है । साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ऐसे दस्तावेज को विश्वसनीय मानना चाहिये किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध कार्यवाही कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक ट्रस्ट का दाविया भूमि पर वर्ष 1977 के वसीयतनामें के आधार पर काबिज होकर प्रजापत समाज के हित में कार्य कर रहे हैं उससे समाज हित में लगातार कार्य कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर और प्रस्तुत दस्तावेजों पर बगैर साक्ष्य लिये जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक के पास किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है न उसके पास कोई वैध बिक्री रजिस्ट्री है अथवा कोई अन्तरण संबंधी दस्तावेज है न किसी न्यायालय की डिक्री है । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक ट्रस्ट का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा

आवेदक का संहिता की धारा 109–110 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र सही निरस्त किया गया है, क्योंकि इसी बिन्दु पर पहले से अपर आयुक्त के यह अपील प्रचलित है, जहॉ उभयपक्ष अपना पक्ष रखने के लिये स्वतंत्र है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर